बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या – पी.आर. 25/2024

इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा, 2024 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों का प्रवेश–पत्र समिति की वेबसाईट पर जारी करने तथा उसे डाउनलोड कर परीक्षार्थी को वितरण कराने के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा, 2024 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों, उनके अभिभावक, शिक्षण संस्थानों के प्रधान, परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राधीक्षक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा०शि०) तथा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2024 **दिनांक– 01.02.2024 से दिनांक 12.02.2024 तक** निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर संचालित होगी। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों का प्रवेश–पत्र **समिति की वेबसाईट seniorsecondary.biharboardonline.com पर अपलोड/जारी किया गया है, जो दिनांक 31.01.2024 तक उपलब्ध रहेगा।**

2. +2 स्तर के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान से अनुरोध है कि उनके शिक्षण संस्थान से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों का प्रवेश–पत्र समिति द्वारा उपलब्ध कराये गए यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड के माध्यम से उक्त वेबसाईट से डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ संबंधित परीक्षार्थी को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे तथा डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र के आधार पर एक समेकित विवरण पंजी भी संधारित कर सुरक्षित रखेंगे।

3. इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा, 2024 में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान से सम्पर्क कर अपना प्रवेश–पत्र (शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहरयुक्त) प्राप्त कर लेंगे तथा अपने प्रवेश–पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित तिथि/पाली के अनुसार परीक्षा देने हेतु उपस्थित होंगे। यह प्रवेश–पत्र मात्र सैद्धान्तिक विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु जारी किया गया है।

4. विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा छात्र/छात्राओं का ऑनलाईन भरे गये सूचीकरण/परीक्षा आवेदन के आधार पर डमी प्रवेश–पत्र जारी किया गया था। प्रवेश–पत्र में परिलक्षित त्रुटियों का ऑनलाईन सुधार करने हेतु समिति द्वारा अनेक विज्ञप्ति के माध्यम से अवसर दिया गया था। त्रुटियों के ऑनलाईन संशोधन के पश्चात् ही परीक्षार्थी का प्रवेश–पत्र जारी किया गया है। **किसी भी शिक्षण संस्थान के प्रधान अथवा परीक्षा केन्द्रों के केन्द्रधीक्षक द्वारा किसी भी परीक्षार्थी के जारी प्रवेश–पत्र में अंकित विषय/विषयों में किसी भी परिस्थिति में न तो सुधार किया जाएगा और न ही भिन्न विषय से परीक्षा में सम्मिलित कराया जाएगा।** यदि किसी शिक्षण संस्थान के प्रधान अथवा केन्द्राधीक्षक द्वारा किसी भी परीक्षार्थी के प्रवेश–पत्र में अंकित विषय में सुधार कर भिन्न विषय की परीक्षा में सम्मिलित कराया जाएगा, तो वैसे परीक्षार्थी का परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई करने की अनुशंसा सक्षम प्राधिकार से कर दिया जाएगा, इसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।

5. (i) **यह प्रवेश–पत्र केवल उत्प्रेषण (Sent-up)/जाँच परीक्षा में उत्प्रेषित/उत्तीर्ण परीक्षार्थी के लिए ही मान्य होगा। उत्प्रेषण (Sent-up)/जाँच परीक्षा में गैर–उत्प्रेषित/अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित छात्र/छात्रा सैद्धान्तिक विषय/विषयों की परीक्षा में कदापि सम्मिलित नहीं होंगे।** +2 स्तर के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान को निदेश दिया जाता है कि **जो छात्र/छात्रा +2 विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आयोजित उत्प्रेषण (Sent-up) जाँच परीक्षा में गैर–उत्प्रेषित (Non Sent-up)/अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित हैं, उनका प्रवेश–पत्र (Admit Card) किसी भी परिस्थिति में उनके द्वारा जारी नहीं किया जायेगा। इस निर्देश की उपेक्षा करते हुए यदि किसी शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा किसी भी गैर–उत्प्रेषित (Non Sent-up)/अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित छात्र/छात्रा का प्रवेश–पत्र जारी कर दिया जाता है, तो इसे घोर अनियमितता मानते हुए समिति द्वारा मामले को अत्यन्त गंभीरता से लिया जायेगा और इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई के लिए परीक्षार्थी तथा संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान जिम्मेवार होंगे।**

(ii) शिक्षा विभाग, बिहार का पत्रांक–09/विविध–34/2023–800, दिनांक 21.10.2023 के माध्यम से प्राप्त निदेश के आलोक में उन विद्यार्थियों को जिन्हें अपनी कक्षा में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण संबंधित +2 स्तर के शिक्षण संस्थान द्वारा उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है, को आगामी इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2024 में सम्मिलित नहीं कराया जाना है। इस विभागीय निदेश के अनुपालन में समिति के पत्रांक–BSEB(SS)/KEN/1126/2023, दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को नामांकन रद्द किये गए विद्यार्थियों को उत्प्रेषण जांच परीक्षा में शामिल नहीं कराये जाने का अनुरोध भी किया जा चुका है।

(iii) इसी क्रम में निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार का पत्रांक–09/विविध–34/2023–34, दिनांक 04.01.2024 द्वारा भी इस आशय का निदेश निर्गत किया गया है, वैसे विद्यार्थी जिनका नामांकन रद्द किया जा चुका है, को इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2024 में सम्मिलित नहीं कराया जाय। इसका अक्षरशः अनुपालन अनिवार्य है। अतः ऐसे छात्र/छात्राओं जिनका नामांकन रद्द है, परंतु +2 विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधान द्वारा ऑनलाईन सूचीकरण/परीक्षा आवेदन भरे जाने के कारण यदि प्रवेश–पत्र जारी हुआ है, तो उनका प्रवेश–पत्र डाउनलोड कर +2 विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधान द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। विभागीय निदेश की अवहेलना कर यदि किसी शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा ऐसे विद्यार्थियों का प्रवेश पत्र निर्गत किया जाता है, तो इसके लिए वे पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

6. विदित हो कि इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2024 में सम्मिलित होने के लिए प्रारंभ में ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन भरते हुए निर्धारित शुल्क जमा किये जाने की व्यवस्था की गई थी। इस कारण यह पाया जा रहा है कि कतिपय छात्र/छात्रा का +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन भरा गया है, किंतु उनका निर्धारित शुल्क बकाया है, अथवा कम जमा किया गया है। इस परिदृश्य में ऐसे छात्र/छात्राओं का सूचीकरण आवेदन मद में बकाया शुल्क ऑनलाईन जमा करने हेतु अंतिम अवसर के रूप में समिति का पोर्टल **दिनांक 31.01.2024 तक** खुला रहेगा। इस पर विशेष ध्यान देकर संबंधित विद्यालयों के प्रधान द्वारा अपने जिन छात्र/छात्राओं का सूचीकरण शुल्क बकाया है, उसे अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

7. **दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए लेखक (Writer) की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में:–** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पत्रांक- F.No. 16-110/2003-DD III दिनांक– 26-02-2013 एवं पत्रांक F.No. 29-06/2019-DD III दिनांक– 10-08-2022 द्वारा संसूचित प्रावधान के आलोक में दिव्यांग परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु लेखक (Writer) उपलब्ध कराने के संबंध में विज्ञप्ति संख्या– पी०आर० 455/2023 एवं सैद्धान्तिक परीक्षा संचालन के लिए मार्गदर्शिका की कंडिका–19 में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए पूर्व से निदेश संसूचित है।

8. ऑनलाईन प्रवेश–पत्र डाउनलोड करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर समिति के **हेल्पलाईन नम्बर– 0612–2230039** अथवा ई–मेल आई०डी०– **reg.bsebhelpdesk@gmail.com** पर सूचित कर समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०)

Scanned with CamScanner